KHABAR SUNCITY
Sirf Apke Liye

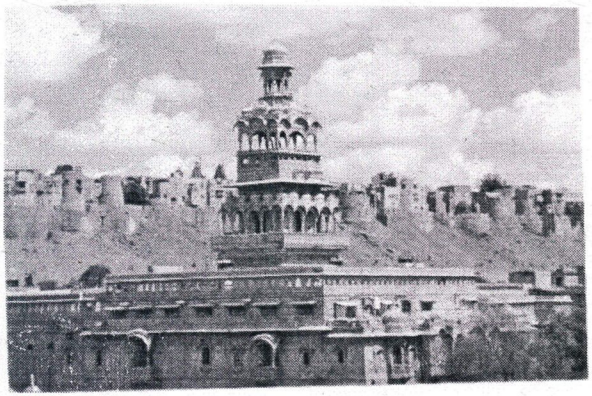

पूर्व राजघरानों के विवाद में हिन्दू लॉ लागू नहीं-राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही संम्पत्ति का हकदार

-जै[illegible] के जिला व सत्र न्यायधीश नरसिंह दास व्यास ने जैसलमेंर के पूर्व राजघराने के संपत्ति विवाद में दिया फैसला

जोधपुर।

जैसलमेर के जिला एवं सत्र न्यायधीश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पिछले सात साल से चल रहे जैसलमेर के पूर्व राजघराने के विवाद में कहा है कि पूर्व राजघारानों के विवाद में हिंदू लॉ लागू नहीं होता। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य की संपूर्ण संम्पत्ति का हकदार होता है। इस सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने जैसलमेर के पूर्व महारावल ब्रजराजसिंह को राजघराने की संपूर्ण संम्पत्ति का हकदार माना है। डीजे नृसिंह दास व्यास द्वारा दिए गए इस निर्णय में पूर्व महारावल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता व रमित मेहता ने पैरवी की।

मामले में महारावल की चाची रेणुका भाटी व उनके दो पुत्रों देवराज सिंह व एकलव्य सिंह की ओर से दायर सूट ऑफ पार्टिशन को खारिज कर दिया गया। पूर्व महारावल के अधिवक्ता रमित मेहता ने बताया कि वे पिछले सात वर्ष से मुकदमे की पैरवी करते जैसलमेर जाते रहे हैं। उन्होंने ही पूर्व राजघरानों के बारे में यह तर्क दिया कि उन पर हिंदू लॉ लागू नहीं होता। इसके अनुसार राजा का पुत्र ही संपत्ति का मालिक होता है। जिला न्यायालय ने उनके इस तर्क को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के समय सभी तत्कालीन राजघरानों से इन्वेंट्री मांगते हुए लिस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मांगी गई थी। उसके अनुसार ही पूर्व राजघरानों को संपत्ति दी गई थी। लेकिन बाद में पूर्व महारावल के नाम से दी गई संपत्ति में उनकी चाची ने आधी संपत्ति उनके नाम किए जाने का केस लगाया। इस मामले में जिला न्यायालय ने 200 पृष्ठों का निर्णय जारी किया है।